चापुदेवी Vs इन्द्रराज 32/2020

अधिवक्ता/पक्षकार के अधिवक्ता।

23/7/20

पीठासीन अधिकारी जी निर्दिष्ट पी/अवकाश, अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 24.8.20 को प्रस्तुत करें।

24/8/20 पत्रावली पेश हुई प्रकरण से संबंधित मूल वाद जरिये मोर प्रेम दायर किया जा चुका है। जिससे इस प्रार्थना के आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना मूल वाद के दायर हो जाने पर पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से अग्रेतर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

Not Pressed.
प्रतिलिपि वादी

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
आयल, जिला नागौर